

## कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

### किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन-गेहूँ स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के अम्बाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल, चरखी दादरी तथा रोहतक (8 जिलों) जिलों में फसल आधारित प्रणाली प्रदर्शन प्लॉट (मक्का+गेहूँ) पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाइट [www.agriharyana.gov.in](http://www.agriharyana.gov.in) under the link E-Agri Schemes Governance link पर आनलाईन आवेदन दिनांक 20-07-2020 तक कर सकते हैं।

फसल आधारित प्रणाली प्रदर्शन प्लॉट (मक्का +गेहूँ) पर ₹0 6000 प्रति हैक्टेयर सामान्य वर्ग/ 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

**Cropping System Based Demonstration (Maize + Wheat) with assistance of 6000/ Hac. for both crops for the year 2020-21**

**Table –A (i)**

District Wise Physical & Financial targets for NFSM- Wheat (Maize+Wheat) - (Maize Cropping System Based demonstration) 2020-21 Assistance Rs. 2400 Per Acre.							
Sr. No	Distt	General Category		SC Category		Total	
		Physical Target (in acre)	Financial Target (in Rs. Lakhs)	Physical Target (in acre)	Financial Target (in Rs. Lakhs)	Physical Target (in acre)	Financial Target (in Rs. Lakhs)
1	Ambala	40	0.96	10	0.24	50	1.2
2	Bhiwani	40	0.96	10	0.24	50	1.2
3	Hisar	40	0.96	10	0.24	50	1.2
4	Jhajjar	40	0.96	10	0.24	50	1.2
5	Mewat	40	0.96	10	0.24	50	1.2
6	Palwal	40	0.96	10	0.24	50	1.2
7	Rohtak	44	1.056	11	0.264	55	1.32
8	C.Dadri	40	0.96	10	0.24	50	1.2
	<b>Total</b>	<b>324</b>	<b>7.776</b>	<b>81</b>	<b>1.944</b>	<b>405</b>	<b>9.72</b>

विशेष दिशा निदेश:-

1. एक किसान को अधिकतम 1 हैक्टेयर का लाभ दिया जाएगा।
2. जो किसान खरीफ मौसम में मक्के की बिजाई करेगा उसने उसी खेत में रबी मौसम में गेहूँ लगानी होगी।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाईन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार भूमि सुधार विकास [निगम/हरियाणा](#) बीज विकास निगम/सरकारी/अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी/उपमण्डल](#) कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा